निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-38/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक, लैंसडाउन (पौड़ी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबंधक, लैंसडाउन (पौड़ी) के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.06.2018 से 20.06.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2016 से 04.06.2016 तक श्री के0एल0भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2013 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह ------- से ------ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह ---------- से ---------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - लैन्सडाउन, सतपुली, घुमावोट, चौबट्टाखाल, धलीसैंड, विलेख एवं विवाद का पंजीकरण।

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	29.69
2016-17	48.99
2017-18	59.15

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

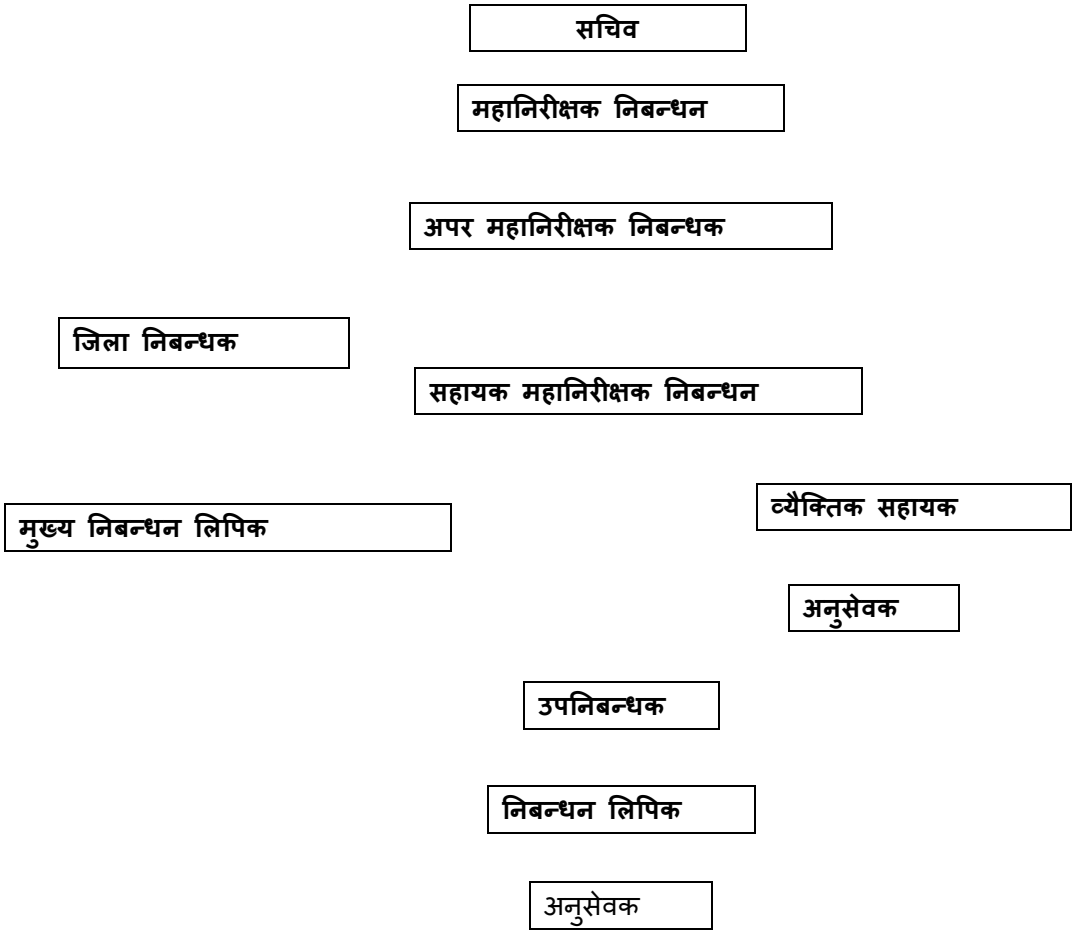

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **लैंसडौन, सतपुली धुमाकोट, चौबट्टाखाल, धलीसैंड़,** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक लैंसडाउन (पौड़ी)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर संख्या 01 - ` 14.20 लाख की भूमि का अनियमित रूप से हस्तांतरण किया जाना |

उत्तराखंड शासनादेश संख्या 175/18(1)/2007 दिनांक 14-05-2007 को जारी अधिसूचना के (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश -2007 दिनाक 10.05.2007 के प्रख्यापन के संबंध मे कहा गया है कि वह धारा 154,129 के अधीन खातेदार या उत्तराखंड मे किसी अनुमति के अपने जीवन काल मे अधिकतम 250 वर्ग0 मी0 भूमि क्रय कर सकता है उससे अधिक भूमि क्रय करने पर शासन एवं जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी अन्यथा क्रय की गई भूमि राज्य सरकार मे निहित हो जाएगी |

कार्यालय उप निबंधक लेंसडाउन की माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखो के नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्न चार विलेखों द्वारा ` 14,20,000 /- का पंजीयन (हस्तांतरण) किया गया था।

बही -01 जिल्द 542 क्रमांक 143, 144, 145 एवं 146 दिनाक 25-04-2017 में चारों क्रेतायो द्वारा निर्धारित 250 वेर्ग मी से अधिक क्रमश: 1000 वर्ग मी,600 वर्ग मी, 1200 वर्ग मी, 1200 वर्ग मी धार्मिक प्रयोजन (ध्यान केंद्र स्थल) हेतु क्रय किया गया था परंतु उप निबंधक लेंसडाउन द्वारा कोई भी दस्तावेज़ जिससे यह प्रमाणित हो कि क्रेतायो की धार्मिक संस्था विधिवत पंजीकृत है तथा छूट प्राप्त करने का अधिकारी था, या शासनादेश की अनुपालन से अथवा संबन्धित जिलाधिकारी से उक्त प्रयोजन हेतु 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार, संस्था के प्रमाणीकरण के प्रमाण के अभाव में उपरोक्त पंजीयन अनियमित था यदि संस्था विधिवत पंजीकृत होती तो भूमि का पंजीयन हस्तान्तरण भी संस्था के नाम से ही किया जाना था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि उक्त सभी चार विलेख पत्रों के क्रेताओं को नोटिस जारी कर जांच उपरांत कार्यवाही कर

लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा। उत्तर से स्पष्ट था कि इकाई द्वारा बिना किसी दस्तावेज़ के पंजीयन किया गया था।

इस प्रकार, ` 14.20 लाख का अनियमित रूप से भूमि का हस्तांतरण किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं० 1 : विलेखों में पूर्ण विवरण न दर्शाया जाना ।

जिलाधिकारी द्वारा जारी की गयी मूल्याँकन सूची में प्रत्येक विलेख में हस्तांतरित की जा रही भूमि का चौहद्दी अंकित करते हुए मानचित्र सग्लंग्न करना अनिवार्य है

कार्यालय उप निबंधक लेन्सडौन की 04/2016 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेखो संबन्धित नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया कि बही -01, जिल्द संख्या 548 के क्रमांक 290 से क्रमांक 299 तक दिनांक 09-08-17 को निष्पादित (कुल 09 विलेखों) में प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लेन्सडौन ने काश्तकारों से मार्ग निर्माण के लिए भूमि ली गयी थी परंतु विलेखों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किस प्रयोजनार्थ (किस मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कि जा रही है) का उल्लेख नहीं किया गया और न ही मार्ग का स्वीकृत संमरेखण (Approved alignment) अधिग्रहित की जा रही भूमि को दिखाते हुए मानचित्र संगलग्न किया गया था |

उक्त विवरणों के अभाव में किस मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा क्या मार्ग का समरेखन स्वीकृत हो चुका है अथवा नहीं ज्ञात हो पा रहा था । मार्ग के किस रीच के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। अत: मुआवजा राशि, शासकीय धन की हानी में परिणित होने की संभावना है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उप निबंधक लेन्सडौन ने उत्तर दिया कि सभी विभागों से भूमि से संबन्धित विवरण व मानचित्र का प्रमाण भविष्य में लिया जाएगा।

अत: बिना पूर्ण विवरण अंकित किये विलेखों के निबन्धन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :2 बजट पत्रावली का रख-रखाव न किया जाना।

कार्यालय उप निबंधक लैंसडाउन की माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय में वर्ष 2016-17, 2017-18 के लिए विभिन्न मदों (पेपर, File covers, Pen Drive, Tonner, printer, Dak Ticket, Furniture & Fixtures) में अनुमानित बजट एवं बजट आवंटन के कोई ब्योरे उपलब्ध नहीं थें न ही कार्यालय द्वारा कोई बजट मांग पत्रावली प्रस्तुत की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि उक्त आवंटन, जिला निबंधक कार्यालय से प्राप्त होता है एवं उनके द्वारा उक्त आवंटन मांग के अनुरूप लेखन सामग्री एवं अन्य सामग्री की प्रतिपूर्ति की जाती है जिसमें से कम्प्युटर कार्टेज की मांग के अनुरूप प्रतिपूर्ति नहीं की गयी जिसकी मांग पुन: की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वाकार्य नहीं था विभाग के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (05/2016) के उपरान्त भी इस मद में बजट तथा अन्य मदों में बजट आवंटन के कोई ब्योरे उपलब्ध न होने से बजट के गलत रख-रखाव का धोतक था।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब
38/2009-10	01	01	-	-	01	01
26/2013-14	**-**	STAN-01	-	-	**-**	STAN-01
31/2016-17	**-**	01	-	-	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबंधक, लैंसडाउन (पौड़ी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	तिथि
(i)	श्री सोहन सिंह सैनी	प्रभारी उपनिबन्धक/तहसीलदार	विगत लेखापरीक्षा से 11/2016
(ii)	श्री विनीत तोमर	प्रभारी उपनिबन्धक/तहसीलदार	12/16 से 08/01/2017
(iii)	श्री सुभाष चन्द्र ध्यानी	प्रभारी उपनिबन्धक/तहसीलदार	09/01/17 से 10/17 तक
(iv)	राजेन्द्र प्रसाद रतूडी	प्रभारी उपनिबन्धक/तहसीलदार	11/17 से 10/06/18
(v)	रिया वर्मा	प्रभारी उपनिबन्धक/तहसीलदार	11/06/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबंधक, लैंसडाउन (पौड़ी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र